

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- एफ.4(ई)(519/94)अलेसे -III/6328-32 दिनांक :- 18.9.14.

जांच बकाया नहीं प्रमाण-पत्र

श्री महेश कुमार द्विवेदी, क0 लेखाकार (निलम्बित) मेरिट नं0 519/94 को आपराधिक परिवाद संख्या 1917-2006 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 10 जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2010 द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 8229-8237 दिनांक 02.08.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था।

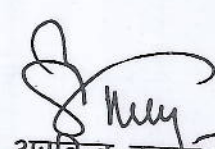
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश कुमार द्विवेदी, क0 लेखाकार मेरिट नं0 519/94 के विरुद्ध इस विभाग में कोई जांच कार्यवाही बकाया/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(519/94)अलेसे -III/6328-32 दिनांक :- 18.9.14

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, विधि/जाँच, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. श्री महेश द्विवेदी, सेवानिवृत्त क0 लेखाकार, 29 सुंदर विहार, दुर्गापुरा, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 15.09.2014 के क्रम में।
5. कम्प्यूटर शाखा, वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)